

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34] No. 34] नई दिल्ली, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2017, शनिवार/भाद्र 5— भाद्र 11, 1939

NEW DELHI, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2017, SATURDAY/BHADRA 5—BHADRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 260.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर भर्ती नियम, 1981 में समूह 'ग' पद, जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय परिचारक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में पुस्तकालय परिचारक पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, पुस्तकालय परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

5109 GI/2017 (1153)

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय परिचारक	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर-1 (18000-56900 रु.)
		समूह 'ग' अराजपत्रित,	
		अननुसचिवीय।	
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

चयन या अपचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	6	(7)
लागू नहीं होता	आयु ''18 से 25 वर्ष के बीच''	आवश्यक: मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	सीनियर सेकेण्डरी या हाईस्कूल या समतुल्य पास हो।

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्धीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

<u>वांछनीय:</u>

- 1. मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमा
- 2. सरकारी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाण पत्र।
- 3. जिल्दसाजी या कार्यालय कार्य का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
व्यक्तियों के लिए विहित आयु	अवधि, यदि	तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	कोई हो	
व्यक्तियों की दशा में लागू		
होंगी या नहीं		
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
		टिप्पण: ''पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य
		परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई
		रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार
		पर भरी जा सकेगी:
		(क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और
		(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और
		शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।"

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
(11)		
लागू नहीं होता		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों
		में संघ लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें नि होंगे:—	ोम्नलिखित	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड – अ	अध्यक्ष	
2. अग्निशमन सलाहकार या उप महानिदेशक (होमगार्ड) - स	गदस्य; और	
3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा, महाविद्यालय, नागपुर - स	गदस्य।	

[फा. सं. I-12014/05/2017-प्रशा. (सीडी)]

गौतम घोष, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

New Delhi, the 30th August, 2017

- G.S.R. 260.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Group 'C' posts, National Fire Service College, Nagpur Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Library Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the National Fire Service College, Nagpur, namely:-
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Library Attendant (Group `C` posts) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification**.—No person.-
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Attendant	1* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Civil Service Group C -Non- Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (₹ 18000- 56900)	Not applicable	"Between 18 and 25 years" of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

		Meghalaya, Arunachal Pradesh,
		Mizoram, Manipur, Nagaland,
		Tripura, Sikkim, Ladakh Division
		of Jammu and Kashmir State,
		Lahaul and Spiti District and Pangi
		Sub-division of Chamba District of
		Himachal Pradesh, Andaman and
		Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for	Period of Probation, If any
	direct recruits will apply in the case of promotees	
(7)	(8)	(9)
Essential:	Not applicable	Two Years
Matriculation or Senior Secondary or High School or equivalent examinations pass from recognised education Board.		
Desirable:		
Certificate Course in Library Science from a recognised Institute.		
 Certificate in Computer application from Government Institute or Institute recognized by Government or State Board of Technical Education. 		
3. Knowledge of book binding or Office work		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods:	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
100% By Direct Recruitment.	Not applicable
Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:	
(a) holding analogous posts on regular basis; and	
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)".	

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstance in which Union
	Public Service Commission is
	to be consulted in making
	recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for confirmation):	Not applicable
1. Director General Fire Service, CD & Home Guard — Chairperson	
2. Fire Adviser/Deputy Director General (Home Guard) - Member	
3. Director, National Fire Service college, Nagpur - Member	

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

- सा. का. नि. 261.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (लेखाकार और पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक उनका संबंध लेखाकार पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में लेखाकार पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (लेखाकार पद) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3.** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4**. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
लेखाकार	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	स्तर-5 (29200-92300 रु.)
	*कार्यभार के आधार पर	'ग' अराजपत्रित,	
	परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।	

चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक
पद	लिए आयु-सीमा	और अन्य अर्हताएं
(5)	6	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	कोई हो।	द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
		रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:- राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/- रु.) के स्तर 4 में पांच वर्ष की सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से सफलतापूर्वक रोकड़ एवं लेखा प्रशिक्षण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

<u>प्रतिनियुक्ति:-</u>

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स **(**25500-81100 रु.) के स्तर 4 में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से सफलतापूर्वक रोकड़ एवं लेखा प्रशिक्षण किया हो; या
 - (iii) जिन्होंने संगठित लेखाकार विभाग में लेखापरीक्षक या उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ नियोजित हो, जिसने अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड -अध्यक्ष	
2. अग्निशमन सलाहकार या उप-महानिदेशक (होमगार्ड) - सदस्य; और	
3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा, महाविद्यालय, नागपुर - सदस्य	

[फा. सं. I-12014/02/2017-प्रशा. (सीडी)]

गौतम घोष. निदेशक

New Delhi, the 30th August, 2017

- **G.S.R. 261.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur (Accountant and Librarian) Recruitment Rules, 1978 insofar as they relate to the post of Accountant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the National Fire Service College, Nagpur under the Ministry of Home Affairs, namely:—
- **1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur (Accountant post) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and Level in the pay matrix.—The number of post, its classification and Level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification**.—No person.—
 - (c) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
 - (d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reason to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether	Age-limit for
			Matrix	Selection or Non	direct recruits
				Selection Post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant	1* (2017)	General Central	Level- 5 (₹29200-	Non-selection	Not applicable
	*Subject to	Service Group 'C'	92300).		
	variation	Non -Gazetted,			
	dependent on	Non-Ministerial.			
	work load.				

Educational and other qualifications	Whether age and educational qualifications	Period of Probation, If any
required for direct recruits	prescribed for direct recruits will apply in	
	the case of promotes	
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods:	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:-
	Upper Division Clerk of the National Fire Service College, Nagpur with five years' service in level 4 in the pay matrix (₹25500-81100/) and successfully undergone Cash and Account Training at the Institute of Secretariat Training and Management.
	NoteWhere juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already complete such qualifying or eligibility service.
	<u>Deputation:—</u>
	Officers of the Central Government -
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
	(ii) with 5 years regular service in level 4 in the pay matrix (₹25500-81100/) and having successfully undergone Cash and Account Training at the Institute of Secretariat Training and Management; or
	(iii) employed in the organised Accountant Departments as auditor or Upper Division Clerk with five years regular service in level 4 in the pay matrix who have passed the subordinate Accounts service or equivalent examination.
	Note The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.
Note 3 The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion or Confirmation) Consisting of :—	Not Applicable
(1) Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard – Chairperson	
(2) Fire Adviser or Deputy Director General (Home Guard) - Member; and	
(3) Director, National Fire Service College, Nagpur - Member	

[F. No. I-12014/02/2017-Ad (CD)]

GOUTAM GHOSH, Director

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 262.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र सीमा बल (पैरा—मेडिक कर्मचारिवृंद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल (पैरा—मेडिक कर्मचारीवृंद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. सशस्त्र सीमा बल (पैरा–मेडिक कर्मचारीवृंद) अयोधक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

- उक्त नियम में, अनुसूची में—
- (क) सहायक फील्ड आफिसर (मेडिक) के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 1 के सामने-
- (अ) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

वेतन मेट्रिक्स में स्तर	
(4)	
स्तर-4 (25500-81100 / रु.	

- (आ) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक ''प्रोन्नति'' के आधीन टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा ।
- (ख) ज्योष्ठ फील्ड सहायक (मेडिक) के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातु:—

(ग) भेषजज्ञ के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 3 के सामने स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः—

घ) प्रयोगशाला तकनीकी के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 4 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

ड़) रेडियोग्राफर के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 5 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

च) नर्सिंग सहायक के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 6 के सामने, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलेखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

[फा. सं. 3/18/एसएसबी/सीएससी/क्षेत्र/समूह'ग'/2016/एसएफएस] विनोद कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2011 को और उसके पश्चात् संशोधित नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230 तारीख 12 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित किये गये थे।

New Delhi, the 30th August, 2017

- **G.S.R. 262.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal (Para-Medical Staff) Non-Combatised Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal (Para-Medical Staff) Non-Combatised Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Sashastra Seema Bal (Para-Medical Staff) Non-Combatised Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011(hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

- 3. In the said rules, in the Schedule,—
 - (a) against serial number 1 relating to the post of Assistant Field Officer (Medic),-
 - (A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix		
(4)		
Level-4 (Rs. 25500-81100/)";		

- (B) in column (11), under sub-heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;
- (b) against serial number 2 relating to the post of Senior Field Assistant (Medic), for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

```
"Level- 3 (Rs. 21700-69100/)";
```

(c) against serial number 3 relating to the post of Pharmacist, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

```
"Level-5 (Rs. 29200-92300/)";
```

(d) against serial number 4 relating to the post of Laboratory Technician, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

```
"Level-5 (Rs. 29200-92300/)":
```

(e) against serial number 5 relating to the post of Radiographer, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

```
"Level-5 (Rs. 29200-92300/-)";
```

(f) against serial number 6 relating to the post of Nursing Assistant, for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

```
"Level-1 (Rs. 18000-56900/).
```

[F. No. 3/18/SSB/CSC/Area/Gp 'C'/2016/SFS]

VINOD KUMAR, Under Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R. 728(E), dated the 29th September, 2011 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 230, dated the 12th December, 2015.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

- सा.का.नि. 263.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रिमंडल सचिवालय (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) समूह 'ख' (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में समूह 'ख' (राजपत्रित) पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय समूह 'ख' (राजपत्रित) सेवा, भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.-ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3. **पद का नाम, पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद का नाम, पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता.-वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. अनुभाग अधिकारी	1*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स—7: 44900—142400 रु.
	,	समूह 'ख' राजपत्रित,	
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा		
	सकता है ।		

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
के लिए विहित आयु और शैक्षिक	हो	द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा
अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
लागू होंगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन अथवा
		पुनर्नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति:—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—6: 35400—112400 रु. में सहायक की श्रेणी में न्युनतम छह वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण:-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्तः-

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-7: 44900-142400 रु. में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण:-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिन्होंने अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता
1. अपर सचिव / समतुल्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3. निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

2. निजी सचिव	29*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्सत—7: 44900—142400 रु.
	, ,	समूह 'ख' राजपत्रित,	
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन अथवा पुनर्नियोजन

प्रोन्नति:—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—6: 35400—112400 रु. में निजी सहायक की श्रेणी में न्यूनतम छह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्तः-

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-7: 44900-142400 रु. में निजी सहायक की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिन्होंने निजी सचिव की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से वह सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

	(12)		(13)
चयन	समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–		लागू नहीं होता
1.	अपर सचिव / समतुल्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. नयाचार अधिकारी	1*(2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स–7ः
	, ,	समूह 'ख' राजपत्रित,	44900—142400 ক.
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा सकता है।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन अथवा पुनर्नियोजन

प्रोन्नति:—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—6: 35400—112400 रु. में सहायक की श्रेणी में न्युनतम छह वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अन्देशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:--

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-7: 44900-142400 रु. में सहायक के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
- (iii) जिनके पास संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण:-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में नयाचार अधिकारी के रूप में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिन्होंने नयाचार अधिकारी की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

	(12)		(13)
चयन	समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—		लागू नहीं होता
1.	अपर सचिव / समतुल्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	–सदस्य	

[फा. सं. ए. 12018 / 2 / 2015—प्रशा. तारीख 17.8.2017]

आर. के. जैन, उप सचिव

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 17th August, 2017

- **G.S.R.** 263.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat (National Security Council Secretariat) Group 'B' (Gazetted) Re Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' (Gazetted) post in the National Security Council Secretariat, namely:—
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Security Council Secretariat, Group 'B' (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to the rules.
- 3. Name of post, number of posts, its classification and Level in pay matrix. —The name, number of the said posts, their classification and the Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of said Schedule.
- 5. **Disqualification.** —No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Section Officer	variation dependent on		Pay Matrix - 7 Rs. 44900-142400/

Whether selection post or	Age-limit for direct	Educational and other qualifications	Whether age and
non-selection post.	recruits.	required for direct recruitment.	educational qualifications
			prescribed for direct recruits
			will apply in the case of
			promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or contract or re-employment or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable	Promotion or Deputation or Absorption or Re- employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in
absorption or re-employment, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.		which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Officers of National Security Council	` /	Not Applicable
Secretariat with minimum six years regular service in the grade of Assistant in the Pay Matrix – 6 of Rs. 35400-112400/.	Additional Secretary/equivalent, National Security Council SecretariatChairman	
Note: Regular service shall be counted in accordance with instructions of Deportment of Personal and Training.		
<u>Deputatio</u> n	Council SecretariatMember	
(i) Officers of the Central Government or State Government holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) five years regular service as Assistant Section Officer in the Pay Matrix – 7 of Rs 44900-142400/		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another Ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.		
Absorption		
Officers working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Section Officer.		
Re-employment: Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Private Secretary	*Subject to variation dependent	General Central Service, Group'B' Gazetted, Ministerial.	Pay Matrix - 7 Rs. 44900- 142400/	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	1.1	Promotion or Deputation or Absorption or Re-employment.

<u>(11)</u>	(12)	(13)
Promotion: Officers of National Security	Selection Committee consisting of:-	Not Applicable.
Council Secretariat with minimum six years regular service in the grade of Personal Assistant in the Pay Matrix – 6 of Rs.	Additional Secretary/equivalent, National Security Council SecretariatChairman	
35400-112400/.	Joint Secretary, National Security Council Secretariat -Member	
Note: Regular service shall be counted in accordance with instructions of Department of Personal and Training.	3. Director, National Security Council SecretariatMember	
<u>Deputatio</u> n		
(i) Officers of the Central Government or State Government holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) five years regular service as Personal Assistant in the Pay Matrix – 7 of Rs. 44900-142400/		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.		
Absorption		
Officers working as Private Secretary in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Private Secretary.		
Re-employment		
Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.		

	(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Protocol Officer	1* (2017) *Subject to variation	General Central Service, Group'B'	Pay Matrix- 7
		dependent on workload.	Gazetted non-Ministerial.	Rs. 44900-142400/

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Promotion or				
					Deputation or
					Absorption or
					Re- employment.

(11)	(12)		(13)
Promotion: Officers of National Security Council Secretariat with minimum six	Selection Committee consisting of :-		Not applicable.
years regular service in the grade of Assistant in the Pay Matrix – 6 of Rs. 35400-112400/.	Additional Secretary/equivalent, National Security Council Secretariat.	-Chairman	
Note: Regular service shall be counted in accordance with instructions of	Joint Secretary, National Security Council Secretariat.	-Member	
Department of Personal and Training.	Director, National Security Council Secretariat.	-Member	
<u>Deputatio</u> n			
(i) Officers of the Central Government or State Government holding analogous posts on regular basis; or			
(ii) five years regular service as Assistant in the Pay Matrix – 7 of Rs. 44900-142400/			
(iii) Five years experience in the related field.			
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.			
Absorption			
Officers working as Protocol Officer in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Protocol Officer.			
Re-employment			
Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.			

[F. No. A.12018/2/2015-Ad. Dt. 17.08.2017]R. K. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 264.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रिमंडल सचिवालय (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय समूह 'ग' भर्ती नियम, 2005 को, जहाँ तक उसका संबंध क्रमशः रोकड़िया

और केयर टेकर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय समूह 'ख' (अराजपत्रित) सेवा, भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.-ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3. **पद का नाम, पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद का नाम, पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तंर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. **व्यावृ**ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक	12* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स—6: 35400—112400 रु.

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
	लिए आयु—सीमा।	लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	हो ।	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8) लागू नहीं होता	(9) लागू नहीं होता	(10) प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति : राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—4 : 25500—81100 रु. में उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति : (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—4 : 25500—81100 रु. में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने सहायक की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा ।
(12)		(13)
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता।
1. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2. निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3. अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. अनुसंधान सहायक	3* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स–6ः
	, ,	समूह 'ख' अराजपत्रित,	35400−112400 रु.
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा		
	सकता है।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति या संविदा या आमेलन या पुनर्नियोजन।

()	\ /	\ /
लाग नहीं होता।	लाग नहीं होता।	प्रतिनियक्ति या संविदा या आमेलन या पनर्नियोजन।
	VII & 101 CIVII 1	2000 1300 10 001 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10

प्रतिनियुक्तः-

- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुसंधान संस्थााओं या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों के (i) ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-4 : 25500-81100 रु. में दस वर्ष नियमित सेवा की है । (ii)
- परिवक्षित तकनीकी क्षेत्र, अर्थात भौगोलिक उपदर्शन सॉफ्टवेयर (जी. आई. एस), साइबर, खनन, (iii) अंतरिक्ष, आदि में डिप्लोमा।

टिप्पण:-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

संविदा:-

आवश्यक अर्हता:--

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के सुसंगत विषय में स्नातक डिग्री; या
- (ii) परिवक्षित तकनीकी क्षेत्र, अर्थात भौगोलिक उपदर्शन सॉफ्टवेयर (जी. आई. एस) साइबर, खनन, अंतरिक्ष, आदि में डिप्लोमा ।

वांछनीय अर्हताएं:-संबद्ध क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने अनुसंधान सहायक की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।

पुनर्नियोजन:--सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मृक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पूनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

	(12)	(13)
चयन	समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं होता।
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय 🕒 अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय — सदस्य	
3.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय — सदस्य	

	(1)		(2)	(3)	(4)
3.	नयाचार	सहायक	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स–६ः
			,	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	35400−112400 ক.
			*कार्यभार के आधार पर		
			परिवर्तन किया जा सकता		
			है		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति:—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स— 4: 25500—81100 रु. में उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अनदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्तः-

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—4: 25500—81100 रु. में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने नयाचार सहायक की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

	(12)		(13)
चय	न समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–		लागू नहीं होता।
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. निजी सहायक /	16* (2017)		वेतन मैट्रिक्स–६ः
आशुलिपिक श्रेणी (ग)	, ,	समूह 'ख' अराजपत्रित,	35400─112400 रु.
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा		
	सकता है ।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन।

प्रोन्नितः—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—4: 25500—81100 रु. में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्तः-

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—4: 25500—81100 रु. में ज्येष्ठ सचिवालय आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:--प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

	(12)		(13)
चय	न समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–		लागू नहीं होता।
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
5. ज्येष्ट पुस्तकालय	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स–6ः
और सूचना सहायक	,	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	35400−112400 ক.
	*कार्यभार के आधार पर		
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है ।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या संविदा या आमेलन या पुनर्नियोजन	

प्रतिनियुक्ति:—(क) (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वशासी निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के ऐसे पदधारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स —5: 29200—92300 रु. में ऐसे कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम छह वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स—4: 25500—81100 रु. में ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम दस वर्ष नियमित सेवा की है ।

(ख) आवश्यक अर्हताएं:--

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रनातक डिग्री;
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा ।
- (ग) वांछनीय अर्हताएं:-किसी स्थायी पुस्तकालय में वृत्तिक अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में प्रमाणपत्र ।

टिप्पण:--प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

संविदा:-

(क) आवश्यक अर्हताएं:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:--

- (i) किसी स्थायी पुस्तकालय में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्यूटर उपयोजन में प्रमाणपत्र ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है । पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा ।

	(12)		(13)
चयन	सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–		लागू नहीं होता।
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
6. नक्शानवीस श्रेणी—I	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स–६ः
और कार्टोग्राफर			35400−112400 रु.
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

(11)

प्रतिनियुक्तः- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-5: 29200-93300 रु. या समतुल्य में छह वर्ष नियमित सेवा की है ।

आवश्यक अर्हता:-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा ।

वांछनीय अर्हता:-

संबद्ध क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

	(12)	(13)	
चय	न समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं होता।	
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

	(1)	(2)	(3)	(4)
7.	रोकड़िया	1* (2017)		वेतन मैट्रिक्स–६ः
		, ,	समूह 'ख' अराजपत्रित,	35400─112400 ক.
		*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
		परिवर्तन किया जा सकता		
		है ।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्तः-केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारीः

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स-4: 25500-81100 रु. या समतुल्य में दस वर्ष नियमित सेवा की है ।

वांछनीय अर्हता:-जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से अथवा अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य से रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण लिया हो।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होने रोकड़िया की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।

पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जाएगा।

	(12)	(13)	
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:			लागू नहीं होता
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

[फा. सं. ए. 12018/2/2015—प्रशा. तारीख 17.8.2017]

आर. के. जैन, उप सचिव

New Delhi, the 17th August, 2017

- G.S.R. 264.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat (National Security Council Secretariat) Group 'B' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2001 and the National Security Council Secretariat, Group 'C' posts (Recruitment) Rules 2005 so far as they relate to the posts of Cashier and Caretaker respectively except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' (Non Gazetted) posts in the National Security Council Secretariat, namely:-
- **1. Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the National Security Council Secretariat, Group 'B' (Non-Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to the rules.
- 3. Name of post, number of the posts, its classification and Level in Pay Matrix.— The name, number of the said posts, their classification and the Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of said Schedule.
- **5. Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in Pay	Whether	Age-limit
			Matrix.	selection post	for direct
				or non-selection	recruits.
				post.	
745	(2)	(2)	7.40	(-)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant	12* (2017)	General Central	Pay Matrix-6:	Not applicable	Not applicable
	*Subject to	Service, Group-	Rs. 35400-		
	variation	'B' Non-	112400/		
	dependent on	Gazetted,			
	workload.	Ministerial.			

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation. if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or contract or re-employment or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Promotion or Deputation or Absorption or Remployment.

In case of recruitment by deputation or promotion or absorption or contract or re-employment, grades from which deputation or promotion or absorption or contract or re-employment is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstance is in which Union Public Service Commission is to be consulted in
or comment of to compressions to be made.		making recrultment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Officers of National Security Council Secretariat with minimum ten years regular service in the grade of Upper Division Clerk in the Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/ Note: Regular service shall be counted as per instructions issued by the Department of Personnel & Training from time to time. Deputation: (i) Officials of Central Government or State Government holding analogous posts on regular basis; or (ii) Ten years regular service in the grade of Senior Secretariat Assistant in the Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/ Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years. Absorption: Officialsworking in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Assistant. Re-employment: Re-employment: Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.	Selection Committee consisting of:- 1. Joint Secretary, National Security Council SecretariatChairman 2. Director, National Security Council SecretariatMember 3. Under Secretary, National Security Council SecretariatMember	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Research Assistant.		General Central Service, Group'B' non- Gazetted, non- Ministerial .	•	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation or Contract or Absorption or Re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation	Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
(i) Officials of the Central Government or State Government or Research Institutions or Autonomous bodies or Universities holding analogous posts on regular basis; or	Joint Secretary, National Security Council SecretariatChairman	
(ii) Ten years regular service in the Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/-	Director, National Security Council Secretariat. —Member	
(iii) Diploma in identified technical field, such as Geographical Indication Software (GIS), Cyber, Mining, Space etc.	Under Secretary, National Security Council SecretariatMember	
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.	2.10.11.00	
Contract		
Essential Qualification –		
(i) Graduate degree in a field relevant to National Security Council Secretariat from a recognized university; or		
(ii) Diploma in identified technical field, such as Geographical Indication Software (GIS), Cyber, Mining, Space etc.		
Desirable Qualifications		
At least five years experience in the related field.		
Absorption		
Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Research Assistant.		
Re-employment :		
Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Protocol Assistant	1* (2017).	General	Pay Matrix-6:	Not applicable
	*Subject to	Central	Rs. 35400-112400/	
	variation	Service,		
	dependent on	Group-'B' Gazetted		
	workload.	Ministerial.		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion or Deputation or Absorption or Re-employment.

	I	
(11)	(12)	(13)
Promotion	Selection Committee consisting of :-	Not Applicable
Officials of National Security Council Secretariat with minimum ten years	Joint Secretary, National Security Council SecretariatChairman	TI
regular service in the grade of Upper Division Clerk in the Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/	2. Director, National Security Council SecretariatMember	
Note: Regular service shall be counted as per instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.	3. Under Secretary, National Security Council SecretariatMember	
<u>Deputatio</u> n		
(i) Officials of Central Government or State Government holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) Ten years regular service in the grade of Senior Secretariat Assistant in the Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/-		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.		
Absorption		
Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Protocol Assistant.		
Re-employment: Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto		
the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Personal Assistant/	16* (2017) *Subject to	General Central	Pay Matrix-6:	Not applicable
Stenographer Grade	variation dependent on	Service, Group-'B'	Rs. 35400-112400/-	
(C).	workload.	non-Gazetted,		
		Ministerial.		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	1	
				Absorption or Re-employment.	

(11)	(12)	(13)
Promotion : Officers of National Security	Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
Council Secretariat with minimum ten years		
regular service in the grade of Stenographer	1. Joint Secretary, National Security Council	
Grade-'D' in the Pay Matrix -4 of	SecretariatChairman	
Rs. 25500-81100/		
	2. Director, National Security Council	
Note: Regular service shall be counted as	SecretariatMember	
per instructions issued by the Department		
of Personnel & Training from time to time.	Under Secretary, National Security Council Secretariat. -Member	
Deputation		
(i) Officials of the Central Government		
or State Government holding		
analogous posts on regular basis; or		
(ii) Ten years regular service in the grade		
of Stenographer Grade-'D' in the Pay		
Matrix -4 of Rs. 25500-81100/		
Wiatrix -4 of Rs. 25500-01100/		
Note: Period of deputation, including		
period of deputation in another ex-cadre		
posts held immediately preceding this		
appointment in the same or some other		
organisation or department, shall not		
exceed eight years.		
Absorption		
Officials working in National Security		
Council Secretariat on deputation from		
Central or State Government and rendered		
five years service in the grade of		
Stenographer Grade-'D'.		
Re-employment :		
Re-employment of the Armed Forces		
Personnel due to retire or who are to be		
transferred to reserve within a period of one		
year and having the requisite experience and		
qualifications prescribed shall also be		
considered. Such persons would be given		
deputation terms up to the date on which		
they are due for release from the Armed		
Forces; thereafter they may be continued on		
re-employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Senior Library	1* (2017) *Subject	General Central	Pay Matrix-6:	Not applicable
And Information	to variation	Service, Group-'B'	Rs. 35400-112400/	
Assistant.	dependent on	non-Gazetted non-		
	workload.	Ministerial.		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation
				or
				Contract or Absorption
				or
				Re-employment.

(11)	(12)	(13)
<u>Deputation</u>	Selection Committee consisting of :-	Not applicable.
A. (i) Officials of the Central Government or State Government, Autonomous bodies, Universities etc. holding analogous posts on regular basis; or	Joint Secretary, National Security Council SecretariatChairman Director, National Security Council	
ii) Junior Librarian in the Pay Matrix -5 of	SecretariatMember	
Rs. 29200-92300/- with minimum six years regular service in the grade or Assistant Librarian in Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/ with minimum ten years regular service in the grade.	Under Secretary, National Security Council SecretariatMember	
B. Essential Qualifications:		
(i) Graduate degree of a recognised University;		
(ii) Diploma in Library Science of a recognised University/Institute.		
C. Desirable Qualifications:		
Professional experience in a Library of Standing; or Certificate in Computer applications from a recognised institute.		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.		
Contract		
A. Essential Qualifications:		
(i) Graduate degree of a recognised University;		
(ii) Diploma in Library Science of a recognised university/ Institute.		
B. Desirable Qualifications:		
i) Three years professional experience in a Library of Standing; or		
ii) Certificate in Computer applications from a recognised University/institute.		
Absorption Absorption		
Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Senior Library & Information Assistant.		

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राज	ापत्र : सितम्बर 2, 2017/भाद्र	11, 1939	118
Re-employment:				
due to retire or who reserve within a period requisite experience an shall also be considere given deputation terms they are due for releas	e Armed Forces Personnare to be transferred of one year and having to display the qualifications prescribed. Such persons would sup to the date on white from the Armed Force and be continued to	to he ed be ch		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Draftsman Grade-I and Cartographer.	1* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'B' non- Gazetted non- Ministerial.	Pay Matrix-6: Rs. 35400-112400/-	Not Applicable
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NT 4 1' 11	NT (1' 11	NT (1' 11	NT 4 1' 11	D ()

Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation
	(11)		(12)	(13)
Denutation		Selection Com	mittee consisting of ·-	Not Applicable

(11)	(12)	(13)
Deputation	Selection Committee consisting of :-	Not Applicable.
Officers of the Central/State Government:		
	1. Joint Secretary, National Security	
(i) holding analogous posts on regular basis; or	Council SecretariatChairman	
(ii) Six years regular service in the Pay Matrix-5		
of Rs. 29200-93300/ or equivalent.	2. Director, National Security Council	
Essential Qualification	SecretariatMember	
Three years diploma in related field from a recognised		
University.	3. Under Secretary, National Security	
Desirable Qualification	Council SecretariatMember	
At least five years experience in related field.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Cashier	1* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'B' non-Gazetted non-Ministerial.	•	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation
				or
				Absorption
				or
				Re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation Selection Committee consisting of :-		Not applicable.
Officers of the Central Government or State Government:	Joint Secretary, National Security Council SecretariatChairman	
(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Ten years regular service in the Pay Matrix -4 of Rs. 25500-81100/- or equivalent.	 Director, National Security Council SecretariatMember Under Secretary, National Security Council SecretariatMember 	

DesirableQualificationUndergoneCash andAccountsTraining fromInstitute ofSecretariatTraining and Management or SubordinateAccountsService or equivalent

Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.

Absorption

Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Cashier.

Re-employment:

Re-employment of the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

[F. No. A. 12018/2/2015-Ad. Dt. 17.08.2017]

R. K. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 265.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (समूह 'घ' सेवाएं) भर्ती नियम, 2003 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय समूह 'ग' पद (भर्ती) नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना.-ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पद का नाम, पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद का नाम, उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.--उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है:

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उच्च श्रेणी लपिक	3* (2017)	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स—4: 25500—81100 रु.
	,	सेवा, समूह 'ग'	
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	अराजपत्रित,	
	किया जा सकता है ।	अनुसचिवीय	

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा
के लिए विहित आयु और शैक्षिक		या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
लागू होंगी या नहीं ।		प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नितः—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—2: 19900—63200 रु. में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अनदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी।

प्रतिनियुक्तः-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—2: 19900—63200 रु. में या समतुल्य में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण:-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:-

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:—सशस्त्र बल के ऐसे हवलदार / लिपिक या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जाएगा। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की तारीख तक पुनर्नियोजन)।

यदि वि	भागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
	(12)		(13)
विभागी	य प्रोन्नति चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—		लागू नहीं होता।
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	उप सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	6* (2017)		
		'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	25500─81100 रु.
	*कार्यभार के आधार पर		
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है।		

(5) (6)		(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति / आमेलन या सीधी भर्ती या पुनर्नियोजन

(11)

प्रतिनियुक्ति:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों के ऐसे पदधारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; टिप्पण:-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सिचवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी 'घ' की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ।

सीधी भर्ती:-

आवश्यक अर्हता:-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;
- (ii) मान्यताप्राप्त आई. टी. आई. से आश्लिपि की अर्हता;
- (iii) आश्लिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति;
- (iv) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रतिमिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रतिमिनट की टंकण की गति; और
- (v) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या चयन समिति द्वारा संचालित परीक्षण के माध्यम से निर्णित किया जाने वाला कम्प्यूटर पर वर्ड, एक्सल, पावर पोइंट, आदि का ज्ञान ।

वांछनीय अर्हताएं:--

किसी मान्यताप्राप्त संगठन या संस्था से आशुलिपि या टंकण में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण:--कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाएगी ।

पुनर्नियोजनः–

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:-

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन— सशस्त्र बल के ऐसे हवलदार / निजी सहायक या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों पर भी प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतिरत किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हता है। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

	(12)	(13)	
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—			लागू नहीं होता।
1.	संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	उप सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ कार ड्राइवर	2* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स–5ः
(श्रेणी -1)		समूह 'ग' अराजपत्रित,	29200−92300 ₹.
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है ।		

(5)		(7)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रोन्नति:—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 4: 25500—81100 रु. में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी —II) की श्रेणी में न्युनतम पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अुनदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—4: 25500—81100 रु. में नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—II) की श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—I) की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:--

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:

(i) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजनः—

सशस्त्र बल के ऐसे हवलदार / ड्राइवर या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

- (ii) सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर रखा जा सकेगा जिनके पास-
 - (क) मोटर कार का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, और
 - (ख) मोटर कार के यंत्रक्रिया का ज्ञान हो ।

	(12)		(13)
चयन	समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—		लागू नहीं होता।
1.	निदेशक या उप–सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. स्टाफ कार ड्राइवर	2* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स–4:
(श्रेणी—II)	,	'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	25500−81100 रु.
	*कार्यभार के आधार पर		
	परिवर्तन किया जा सकता है।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रोन्नितः—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 2: 19900—63200 रू. में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) की श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष सेवा की है ।

टिप्पण:—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय—समय पर जारी अुनदेशों के अनुसार नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी

- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स—2: 19900—63200 रू. में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) की श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अविध जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:-केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी–II) की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:-

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:-

- (i) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:—सशस्त्र बल के ऐसे नायक / ड्राइवर या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) ।
- (ii) सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर रखा जा सकेगा जिनके पास-
 - (क) मोटर कार का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, और
 - (ख) मोटर कार के यंत्रक्रिया का ज्ञान हो ।

	(12)	(13)	
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—			लागू नहीं होता।
1.	निदेशक या उप–सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
5. स्टाफ कार ड्राइवर	13* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स—2:
(सामान्य श्रेणी)	, ,	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	19900−63200 ₹.
	*कार्यभार के आधार पर		
	परिवर्तन किया जा		
	सकता है ।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति / आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं ।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:--

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:--

- (i) प्रितिनयुक्ति या पुनर्नियोजन:— सशस्त्र बल के ऐसे सिपाही या ड्राइवर या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।
- (ii) सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर रखा जा सकेगा जिनके पास-
 - (क) मोटर कार का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, और
 - (ख) मोटर कार के यंत्रक्रिया का ज्ञान हो।

	(12)		
चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:			लागू नहीं होता।
1.	निदेशक या उप–सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
6. सवार हरकारा	9* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स–2ः
		'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	19900—63200 ক.
	*कार्यभार के आधार पर		
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति / आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में मोटर साइकिल या तिपहिया चलाने का दो वर्ष का अनुभव है ।

टिप्पण:-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने सवार सहकारा की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:--

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:-

- (i) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:— सशस्त्र बल के ऐसे नायक / ड्राइवर या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तिवक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।
- (ii) सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर रखा जा सकेगा जिनके पास-
 - (क) मोटर कार का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, और
 - (ख) मोटर कार के यंत्रक्रिया का ज्ञान हो ।

	(12)		
चयन	समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—		लागू नहीं होता।
1.	निदेशक या उप–सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष	
2.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	
3.	अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
7. बहुकार्य कर्मचारिवृद	61* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	^
(एम टी एस)			18000−56900 ক.
	*कार्यभार के आधार पर	अनुसचिवीय	
	परिवर्तन किया जा सकता		
	है ।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति / आमेलन या पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति:—वेतन मैट्रिक्स—1: 18000—56900 रु. में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे कर्मचारी या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के समतुल्य श्रेणियों के ऐसे कर्मचारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं।

टिप्पण:—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आमेलन:--केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने बहुकार्य कर्मचारिवृंद की श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

पुनर्नियोजन:--

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:-

प्रतिनियुक्ति या आमेलनः सशस्त्र बल के ऐसे सिपाही या ऊपर की पंक्ति के कार्मिकों के पुनर्नियोजन पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जाएगा (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की तारीख तक पूनर्नियोजन)।

	(12)					
चयन व	चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—					
1.	निदेशक या उप–सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– अध्यक्ष				
2.	अवर सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य				
3.	अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय	– सदस्य				

[फा. सं. ए. 12018/2/2015—प्रशा. तारीख 17.8.2017] आर. के. जैन. उप सचिव

New Delhi, the 17th August, 2017

- **G.S.R. 265.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Security Council Secretariat (Group 'D' Services) Recruitment Rules, 2003 and the National Security Council Secretariat Group 'C' posts (Recruitment) Rules 2005, except our respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the National Security Council Secretariat, namely:-
- **1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Security Council Secretariat, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to the rules.
- 3. Name of post, number of posts, its classification and Level in pay matrix.—The name, number of the said posts, their classification and the Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in column (1) to (4) of said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of said Schedule.
- **5. Disqualification.** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post Classification		Level in	Whether selection
			Pay Matrix	or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1). Upper Division Clerk.	3*	General Central	Pay matrix – 4	Not applicable
	(2017)	Service Group-'C'	Rs. 25500-81100/	
	*Subject to variation	non-Gazetted		
	dependent on workload.	Ministerial.		
			1	

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	educational qualifications	Period of probation. if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or contract or re-employment or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion or deputation/ absorption or re-employment.

In case of recruitment by promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation/ absorption,, grades from	what is its composition?	which Union Public
which promotion or		Service Commission
deputation/absorption is to be made		is to be consulted in
		making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Officers in National Security Council Secretariat with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in the Pay Matrix	Departmental Promotion/Selection Committee consisting of:- 1. Joint Secretary, National Security Council	Not applicable.
2 of Rs. 19900-63200/-	Secretariat	
Note: Regular service shall be counted	2. Director, National Security Council Secretariat	
as per instructions issued by the Department of Personnel & Training from time to time.	3. Deputy Secretary, National Security Council Secretariat	
Deputation Officials of the Central or State Government or Research Institutions or autonomous bodies or Universities holding:-		
(i) analogous post on regular basis; or		
(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent in the Pay Matrix 2 of Rs. 19900 – 63200/.		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.		

Absorption

Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Upper Division Clerk.

Re-employment

<u> </u>	İ
For Armed Forces Personnel:	
Deputation or Re-employment - The	
armed forces personnel of the rank of	
Havildar/clerk or above who are due to	
retire or to be transferred to reserve	
within a period of one year and have the	
requisite experience and qualifications	
prescribed for deputationists shall also	
considered. If selected such officers	
shall be given deputation terms upto the	
date on which they are due for release	
from the armed Forces. Thereafter, they	
may be continued on re-employment	
terms. In case such eligible officers	
have been retired or have been	
transferred to reserve before actual	
selection to the post is made their	
appointment will be on re-employment	
basis (Re-employment upto the date of	
superannuation with reference to civil	
posts).	

(2)	(3)	(4)	(5)
to variation dependent on	Service Group-'C' non-Gazetted	,	Not applicable
	(2017) *Subject to variation	6* General Central (2017) *Subject Service Group-'C' to variation dependent on Ministerial.	6* General Central Pay matrix – 4 (2017) *Subject Service Group-'C' Rs. 25500-81100/ to variation dependent on Ministerial.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation/ absorption or direct recruitment or re-employment.

(11)	(12)	(13)
<u>Deputation</u>	Selection Committee Consisting of:	Not applicable.
Officials of the Central or State Government or Research Institutions or autonomous bodies or Universities holding analogous post on regular basis; Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years. Absorption Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State	 Joint Secretary, National Security Council Secretariat. Director, National Security Council Secretariat. Deputy Secretary, National Security Council Secretariat. 	

Government and rendered five years service in the grade of Stenographer Grade 'D'.

Direct Recruitment

Essential Qualification

- (i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or university;
- (ii) qualification in stenography in recognised ITI-
- (iii) possessing a speed of 80w.p.m. in Stenography (English or Hindi);
- iv) Typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi; and
- (v) Diploma or certificate in computer application from a recognised institution or knowledge of Word, Excel, Power Point etc. on computer to be judged through a test to be administered by Selection Committee.

Desirable Qualification

Three years experience in stenography and typing from a recognised Organisation or Institution.

Note: Appointment on direct recruitment shall be made through the Staff Selection Commission.

Re-employment

For Armed Forces Personnel:

Deputation or Re-employment - The armed forces personnel of the of the rank of Havildar/ PA or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed Forces. Thereafter, they may be continued on reemployment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be on reemployment basis (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts).

(1) (2)		(3)		(4)	(5)		
(3) Staff (Grade-I).	Car	Driver	2* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Service Gronon-Gazetted	roup-'C'	Pay matrix – 5 Rs. 29200-92300/-	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion or deputation/ absorption or re-employment

(11)	(12)	(13)
Promotion: Officials of the National Security Council Secretariat with minimum five years regular service in the grade of Staff Car Driver(Grade - II) in the Pay Matrix 4 of Rs 25500 – 81100/ Note: Regular service shall be counted as per instruction issued by the Department of Personnel and Training from time to time.	Selection Committee consisting of: 1. Director or Deputy Secretary - Chairman National security Council Secretariat. 2. Under Secretary - Member National Security Council Secretariat. 3. Section Officer - Member National Security Council Secretariat.	Not applicable.
Deputation:		
Officials of the Central or State Government or Research Institutions or autonomous bodies or Universities holding:- (i) analogous post on regular basis; or (ii) with minimum five years regular service in the grade of Staff Car Driver (Grade-II) on regular basis in the Pay Matrix 4 of Rs 25500 – 81100/-		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall not exceed eight years.		
<u>Absorption</u>		
Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Staff Car Driver (Grade I).		
Re-employment		
For Armed Forces Personnel: (i) Deputation or Re-employment The armed forces personnel of the of the rank of Havildar/Driver or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be on re-		

employment basis (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts).	
(ii) the armed forces personnel who have been taken on deputation or reemployment shall have —	
(A) valid driving licence for motor car;and(B) knowledge of motor car mechanism.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) Staff Car Driver	2*	General Central	Pay matrix – 4	Not applicable
(Grade-II).	(2017)	Service Group-'C'	Rs. 25500-81100/-	
	*Subject to variation	non-Gazetted non-		
	dependent on	Ministerial.		
	workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion or deputation/ absorption or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Officials of the National	Selection Committee consisting of:	Not applicable.
Security Council Secretariat with minimum eight years service in the grade of Staff Car Driver (Ordinary	Director or Deputy Secretary – Chairman National Security Council Secretariat.	
Grade) in the Pay Matrix 2 of Rs. 19900 – 63200/	2. Under Secretary – Member National Security Council Secretariat.	
Note: Regular service shall be counted as per instructions issued by the Department of Personnel & training (DoP&T) from time to time.	3. Section Officer – Member National Security Council Secretariat.	
<u>Deputation</u> : Officials of the Central or State		
Government or Research Institutions or		
autonomous bodies or Universities holding:-		
(i) analogous post on regular basis; or		
(ii) with minimum eight years regular service in the grade of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Matrix 2 of Rs. 19900 – 63200/		
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre		
posts held immediately preceding this appointment in the same or some other		
organisation or department, shall not		
exceed eight years.		
Absorption		
Officials working in National Security		
Council Secretariat on deputation from		

have been taken on deputation or re-

(A) valid driving licence for motor car;

(B) knowledge of motor car mechanism.

employment shall have -

Central or State Government and rendered five years service in the grade of Staff Car Driver (Grade II). Re-employment **For Armed Forces Personnel:** (i) **Deputation or Re-employment**.-The armed forces personnel of the of the rank of Naik/Driver or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed deputationists shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be re-employment basis (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts). (ii) the armed forces personnel who

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) Staff Car Driver (Ordinary Grade).	13* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-'C' non-Gazetted non- Ministerial.	Pay matrix – 2 Rs. 19900-63200/	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/ absorption or re-employment

(11)	(12)	(13)
Deputation :	Selection Committee consisting of:	Not applicable.
Officials of the Central or State		
Government or Research Institutions or	 Director or Deputy Secretary – Chairman 	
autonomous bodies or Universities	National Security Council Secretariat.	
holding analogous post on regular basis.	2. Under Secretary – Member	
Note: Period of deputation, including	National Security Council Secretariat.	
period of deputation in another ex-cadre	3. Section Officer – Member	
posts held immediately preceding this	National Security Council Secretariat.	
appointment in the same or some other		

(B)

mechanism.

knowledge of motor car

organisation or department, shall not	
exceed eight years.	
Absorption Absorption	
Officials working in National Security	
Council Secretariat on deputation from	
Central or State Government and	
rendered five years service in the grade	
of Staff Car Driver (Ordinary Grade)	
or starr car striver (ordinary Grade)	
Re-employment	
<u>rec emproyment</u>	
For Armed Forces Personnel:	
(i) Deputation or Re-employment	
The armed forces personnel of the rank	
of Sepoy/Driver or above who are due	
to retire or to be transferred to reserve	
within a period of one year and have the	
requisite experience and qualifications	
prescribed for deputationists shall also	
be considered. If selected such officers	
shall be given deputation terms upto the	
date on which they are due for release	
from the armed Forces. Thereafter, they	
may be continued on re-employment	
terms. In case such eligible officers	
have been retired or have been	
transferred to reserve before actual	
selection to the post is made their	
appointment will be on re-employment	
basis (Re-employment upto the date of	
superannuation with reference to civil	
posts).	
(ii) the armed forces personnel who	
have been taken on deputation or re-	
employment shall have -	
(A) valid driving licence for motor car;	
and	
1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6) Despatch Rider.	9* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-'C' non-Gazetted non-Ministerial.	1 -	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/ absorption or re-employment.

(11)	(12)		(13)
Deputation :	Selection Committee consisting of:		Not applicable.
Officials of the Central or State Government or Research Institutions or autonomous bodies or Universities holding analogous post on regular basis and two years experience in driving	 Director or Deputy Secretary National Security Council Secretariat. Under Secretary National Security Council Secretariat. 	ChairmanMember	

motor cycle or three wheeler in Central or State Government;

Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other department or organisation, shall not exceed eight years.

Absorption

Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Despatch Rider.

Re-employment

For Armed Forces Personnel:

(i) **Deputation or Re-employment** -

The armed forces personnel of the of the rank of Naik/Driver or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed deputationists shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be re-employment basis (Reemployment upto the date superannuation with reference to civil posts).

- (ii) the armed forces personnel who have been taken on deputation or reemployment shall have —
- (A) valid driving licence for motor cycle or Auto Rickashaw; and(B) knowledge of motor cycle or Auto Rickashaw mechanism.

ıl	3.	Section Officer	- Member	
.1	٥.	National Security Council Secretariat.	Wichioci	
		National Security Council Secretariat.		
g				
e				
S				
r				
ot				
y				
n				
d				
e				
f				
О				
О				
d				
d				
r				
l.				
n				
h				
d				
e				
n				
n				
o				
e				
e				
;- -				
f				
i1				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(7) Multi-Tasking Staff (MTS).	61* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-'C' non-Gazetted non- Ministerial.	Pay matrix – 1 Rs. 18000-56900/-	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/ absorption or re-employment.

(11)	(12)		(13)
Deputation:	Selection Committee consisting of :		Not applicable
Employees holding analogous post under the Central Government in the pay matrix – 1 of Rs. 18000-56900/- or	Director or Deputy Secretary National Security Council Secretariat.	– Chairman	
employees of equivalent grades in the State Governments or Universities or Research Organizations or Public Sector	Under Secretary National Security Council Secretariat.	– Member	
Undertaking or autonomous bodies.	Section Officer National Security Council Secretariat.	– Member	
Note: Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other department or organisation, shall not exceed eight years.			
Absorption Officials working in National Security Council Secretariat on deputation from Central or State Government and rendered five years service in the grade of Multi Tasking Staff.			
Re-employment For Armed Forces Personnel: Deputation or Re-employment The armed forces personnel of the of the rank of Sepoy or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also considered. If select such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts).			

[F. No. A.12018/2/2015-Ad. Dt. 17.08.2017]

R. K. JAIN, Dy. Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 266.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में,
 - (I) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - **"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं";
 - (II) अनुसूची में,-
 - (क) क्रम संख्या 1 के सामने भेषजज्ञ (प्रवेश श्रेणी) पद से संबंधित,-
 - (i) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-5
(29200-92300 रुपए)"

- (ii) स्तम्भ (11) में, प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 2 के सामने स्वास्थ्य परिदर्शक पद से संबंधित,—
 - (i) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

"स्तर-4 (25500-81100 रुपए)"

- (ii) स्तम्भ (11) में, प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा;
- (ग) क्रम संख्या 3 के सामने वार्ड मास्टर पद से संबंधित,—
 - (i) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

"स्तर-4 (25500-81100 रुपए)"

- (ii) स्तम्भ (11) में, प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा;
- (घ) क्रम संख्या 4 के सामने एक्सरे सहायक पद से संबंधित,—

(i) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

"स्तर-3 (21700-69100 रुपए)"

- (ii) स्तम्भ (11) में, प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन, टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा;
- (ङ) क्रम संख्या 5 के सामने प्रयोगशाला सहायक पद से संबंधित, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

"स्तर-3 (21700-69100 रुपए)" I

[फा. सं. ए. 12018/4/2017-स्था. III अनुभाग]

अनिल कुमार वाही, अवर सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 23 अगस्त, 2013 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 219, तारीख 01 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

- **G.S.R. 266.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012, namely:—
- (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012,-
 - (I) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - **"2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of said posts, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.";
 - (II) in the Schedule,-
 - (a) against serial number 1 relating to the post of Pharmacist (Entry Grade),-
 - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

"Level in Pay Matrix
(4)
Level – 5
(Rs. 29200-92300)";

- (ii) in column (11), under the heading Deputation, Note 1 : shall be omitted;
- (b) against serial number 2 relating to the post of Health Visitor,-
 - (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Level - 4 (Rs. 25500-81100).";

- (ii) in column (11), under the heading Deputation, Note 1 : shall be omitted;
- (c) against serial number 3 relating to the post of Ward Master,-
 - (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Level – 4 (Rs. 25500-81100).";

- (ii) in column (11), under the heading Deputation, Note 1 : shall be omitted;
- (d) against serial number 4 relating to the post of X-Ray Assistant,-
 - (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Level – 3 (Rs. 21700-69100).";

- (ii) in column (11), under the heading Deputation, Note 1: shall be omitted;
- (e) against serial number 5 relating to the post of Laboratory Assistant, in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level - 3 (Rs. 21700-69100).".

[F. No. A.12018/4/2017-E.III Section] ANIL KUMAR WAHI, Under Secy.

Footnote:—The principal rules were published in the Gazetted of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st September, 2012 *vide* Number G.S.R. 219 dated the 23rd August, 2013.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 267.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर और नर्स) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर और नर्स) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना (सिस्टर और नर्स) भर्ती नियम, 2013 में,
 - (I) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
 - **"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं";
 - (II) अनुसूची में,-
 - (क) क्रम संख्या 1 के सामने सिस्टर के पद से संबंधित,-
 - (i) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात –

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-8
(47600-151100 रुपए)"

- (ii) स्तम्भ (11) में,-
 - (क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन,
 - 1) "वेतनमान 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपए)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे:
 - 2) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
 - (ख) प्रतिनियुक्ति : जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है शीर्षक के अधीन, टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;
- (क) क्रम संख्या 2 के सामने स्टाफ नर्स पद से संबंधित,-
 - (i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -
 - "स्तर-7 (44900-142400 रुपए)"
 - (ii) स्तम्भ (10) में "वेतन बैंड 2 (9300 34800 रुपए) + ग्रेड वेतन 4200 रुपए", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए. 12018/4/2017-स्था. III अनुभाग]

अनिल कुमार वाही, अवर सचिव

पाद टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 24 अगस्त, 2013 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 210, द्वारा तारीख 16 अगस्त, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 22nd August, 2017

- **G.S.R. 267.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project (Sister and Nurses) Recruitment Rules, 2013, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project (Sister and Nurses) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project (Sister and Nurses) Recruitment Rules, 2013,
 - (I) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

- **"2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—** The number of said posts, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";
- (II) in the Schedule,—
 - (a) against serial number 1 relating to the post of Sister,—
 - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

"Level in Pay Matrix
(4)
Level – 8
(Rs. 47600-151100).";

- (ii) in column (11), -
 - (A) under the heading Promotion,
 - for the words, brackets and figures "Scale of pay of Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600", the words figures and brackets "Level 7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;
 - 2) Note 2: shall be omitted;
 - (B) under the heading Deputation including short term contract, Note 4: shall be omitted;
- (b) against serial number 2 relating to the post of Staff Nurse,-
 - (i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

(ii) in column (10), for the words and figures "pay band-2 Rs. 9,300-34,800/- with grade pay of Rs. 4,200/-", the words figures and brackets "Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix" shall be substituted.

[F. No. A. 12018/4/2017-E.III Section]
ANIL KUMAR WAHI, Under Secy.

Footnote. –The principal rules were published in the Gazetted of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 24th August, 2013 *vide* notification number G.S.R. 210 dated the 16th August, 2013.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 268.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विस्तार निदेशालय तकनीकी सहायक (कृषि), भर्ती नियम, 2014, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन विस्तार निदेशालय में तकनीकी सहायक (कृषि) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विस्तार निदेशालय, तकनीकी सहायक (कृषि) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विर्निदिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या संविदा की है
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या संविदा की है। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनूसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
तकनीकी सहायक (कृषि)	1*(2017) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 5 (29200-92300 रुपये)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 से 27 के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
	टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

िटेप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस

तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से कृषि में डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष
टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
वांछनीय: कृषि विज्ञान में कृषि अनुसंधान संस्थान की पोस्ट ग्रेजुएट सम्बद्धता हो या पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा के अभाव में केन्द्रीय या राज्यों के मंत्रालयों में कृषि योजना और विकास विभागों में तीन वर्ष का अनुभव हों।		

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये) हो या समतुल्य श्रेणी के पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा है; और
- (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / अन्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने के लिए)	लागू नहीं होता।
	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1. उप निदेशक (प्रशासन), - अध्यक्ष	
	विस्तार निदेशालय 2. संयुक्त निदेशक (विस्तार), - सदस्य विस्तार निदेशालय	
	 अवर सचिव (विस्तार), - सदस्य कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग 	
	4. उप निदेशक (लेखा), - सदस्य विस्तार निदेशालय	

[फा. सं. 1-3/2014-विस्तार (भ.नि.) खंड-II]

एम, एल, अटल, अवर सचिव (विस्तार)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 11th August, 2017

- **G.S.R. 268.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Extension, Technical Assistant (Agriculture), Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant (Agriculture) in the Directorate of Extension, Pusa, New Delhi under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Extension, Technical Assistant (Agriculture), Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification and level of pay in the Pay Matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,

Age-limit for direct recruitment

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Assistant (Agriculture)	*Subject to variation dependent upon workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level – 5 (Rs.29200-92300)	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits

ingo ininit for unious rectations.	Zautational and other quantitation required for direct rectains
(6)	(7)
Between 18 to 27 years of age	Essential: Degree in Agriculture from a recognised University or
	Institute.
(relaxable for Government servants up to 40 years	
in accordance with the instructions or orders issued	Note1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff
by the Central Government)	Selection Commission in case of candidate otherwise well qualified.
Note1: The crucial date for determining the age	
limit shall be the closing date for receipt of	Note2:- The qualification regarding experience is relaxable at the
applications from candidates in India (and not the	discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates
closing date prescribed for those in Assam,	belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at
Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	any stage of selection the Staff Selection Commission is of the
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of	opinion that sufficient number of candidates from these
Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District	communities possessing the requisite experience are not likely to
and Pangi Sub-Division of Chamba District of	be available to fill up the vacancy reserved for them.
Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands	
or Lakshadweep).	Desirable: Either post graduate of Associate ship of Indian
	Agriculture Research Institute in Agriculture Science or in the
Note2: In case of recruitment through the	absence of any postgraduate diploma or degree, three years
Employment Exchange, the crucial date for	experience in Agriculture planning and Development Departments
determining age limit shall be the last date upto	in the States or Central Ministries.
which the Employment Exchange is asked to	
submit the names.	

HE	GAZETTE	OF INDIA: SEPTEMBER 2, 2017/BHADRA 11, 1939	[PART II—SEC. 3(1)]

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply	Period of Probation, if any
in the case of promotees	
(8)	(9)
Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

(10)

By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation for long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with 5 years' regular service in posts in the Level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent; and
- (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department in the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for the receipt of applications.

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made (11)Not applicable

If Dep	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
	(12)		(13)
_	o 'C' Departmental Promotion Committee (for cotting of:—	onsidering confirmation)	Not applicable
(i)	Deputy Director (Administration), Directorate of Extension	– Chairman	
(ii)	Joint Director (Extension), Directorate of Extension	– Member	
(iii)	Under Secretary (Extension), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	– Member	
(iv)	Deputy Director (Accounts), Directorate of Extension	– Member	

[F. No. 1-3/2014-Extn.(RRs) Vol. II] M.L. ATAL, Under Secy. (Extn.)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 269.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता (पुस्तकालय एवं सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (पुस्तकालय एवं सूचना सहायक) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हता:—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय एवं	03* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर 6,	लागू नहीं होता
सूचना सहायक	(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	समूह 'ख' अराजपत्रित, अनन्सचिवीय	(35400-112400/- रुपये)	
	जा सकता है।)	। जगपुता प्रपाप		

सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा अवधि	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे होगी
जाने वाले	जाने वाले	व्यक्तियों के लिए विहित	यदि कोई हो	या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति
व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए	आयु और शैक्षिक अहर्ताएं		या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
	और अन्य अहर्ताएं	में लागू होंगी या नहीं		रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा(जिसके अंतर्गत
			- "	अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्ध-सरकारी संगठनों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त और कानुनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अधीन अधिकारी, :-

- (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा
 - (ii) जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/- रुपये) में या समतुल्य के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो:
 - (iii) जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/- रुपये) में या समतुल्य के पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो: और
- (ख) नीचे यथाविहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों :
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री;
 - (ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान/शैक्षिक संस्था के पुस्तकालय में दो वर्ष का वृतिक अनुभव हो।

टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उम्मीदवार किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक संविदा भी हो), की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत (अल्पकालिक संविदा भी हो), पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा. सं. ए-12018/09/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 28th August, 2017

- G.S.R. 269.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Calcutta, (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 1996, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:—
- **1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Test House, (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualifications.**—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification	Level in	Whether selection	Age-limit for direct
the post	posts		pay matrix	post or non-selection	recruits
				post .	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and	*03 (2017)	General Central	Level - 6	Not applicable	Not applicable
Information	* Subject to	Service, Group 'B',	(Rs.35400-		
Assistant.	variation	Non- Gazetted,	Rs.1,12,400).		
	dependent on	Non- Ministerial .			
	workload.				

Educational and other	Whether age and	Period of	Method of recruitment, whether by
qualifications required for educational qualification		probation, if any	direct recruitment or by promotion or
direct recruits	prescribed for direct		by deputation/absorption and
	recruits will apply in		percentage of the vacancies to be
	case of promotees		filled by various method
(7) (8)		(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation (including short term
			contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territories or semi-Government organisations, public sector undertakings or autonomous and statutory organisations or recognised university/ institutes:

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis; or
 - (ii) with six years of regular service in the post in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix, or equivalent;
 - (iii) with ten years regular service in the post in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix, or equivalent; and
- (b) possessing the education qualifications and experience as under:-
 - (i) bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university/institute;
 - (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research / educational institution.
- **Note 1:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

Desirable:

Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute.

If a Departmental Promotion committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be
exists, what is its composition	consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary
	·

[F. No. A-12018/09/2014 - NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 270.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (वरिष्ठ स्टोर कीपर, वरिष्ठ ऑपरेटर, संग्रहक सरकार और रिकॉर्ड सार्टर) भर्ती नियम, 1984 को, जहां तक कि उनका संबंध वरिष्ठ ऑपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला, में ज्येष्ठ ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातु:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, ज्येष्ठ ऑपरेटर भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हताएं:**—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ज्येष्ठ ऑपरेटर	24* (2017) (*कार्यभार	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग'	स्तर-4 (रुपये 25500-81100)
	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(अराजपत्रित) अननुसचिवीय	

चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
अचयन पद	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और
	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
	टिप्पणी:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा
	यथानियत तारीख होगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले
	व्यक्तियों के लिए विहित आयु और
	शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की
	दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
आवश्यक:	आयु : नहीं
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अथवा समतुल्य हो और किसी औद्योगिक	शैक्षिक अर्हताएं: नहीं
प्रशिक्षण संस्थान से फिटर अथवा टर्नर अथवा मिलर अथवा ड्रिलर अथवा शेपर या	

ग्राइंडर या वेल्डर अथवा मैकेनिक या मशीनिष्ट के व्यावसायिक प्रमाण पत्र के साथ कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी इंजीनियरी समुत्थान या किसी सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संगठन में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों; या

- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अथवा समतुल्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित मान्यताप्राप्त अनुज्ञप्ति प्राधिकरण से इलैक्ट्रिशियन, वायरमैन, टेलिकम्युनिकेशन मैकेनिक अथवा वायरलेस मैकेनिक के रूप में ट्रेड की अनुज्ञप्ति धारण करता हो और कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इंजीनियरिंग अथवा किसी सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव रखते हों; या
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अथवा समतुल्य और किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ऑटोमोबाइल, एक्स- रे अथवा मशीनमैन या मैकेनिक के व्यावसायिक प्रमाण पत्र के साथ कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में रजिस्ट्रीकृत इंजीनियरिंग समुत्थान अथवा किसी सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव रखते हों; या
- (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास अथवा समतुल्य और कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन रिजस्ट्रीकृत इंजीनियरिंग समुत्थान अथवा किसी सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन में डिस्टिल्ड वाटर प्लांट्स अथवा गैस टैस्टिंग इन्स्ट्र्मैंट अथवा सैम्पलिंग मशीन अथवा वैदर-ओ-मीटर अथवा फिडोमीटर अथवा करोशन चैम्बर अथवा स्प्रे प्रिटिंग मशीन या टैस्टिंग उपस्कर (जैविकीय प्रयोगशाला) के हथालन और संचालन कार्य में पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित –भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या
	आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
	प्रतिशतता
(9)	(10)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति – जिसके न होने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा
	· ·

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा। (11) प्रोन्नित:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 ऐसे ऑपरेटर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1. प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड अथवा पद में विहित अर्हक सेवा पूरी होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएंगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तित्यों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—	लागू नहीं होता
1. क्षेत्र के ज्येष्ठतम वैज्ञानिक 'ग' अथवा प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष	
2. अनुभाग अधिकारी (राष्ट्रीय परीक्षण शाला), उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य	
3. क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/1/2017-एनटीएच]

डी.के. सोनकर, उपनिदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 28th August, 2017

- **G.S.R. 270.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, (Senior Store Keeper, Senior Operator, Collecting Sarkar and Record Sorter) Recruitment Rules, 1984, insofar as it relates to the post of Senior Operator, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Operator in the National Test House under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:-
- **1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Test House, Senior Operator Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.**—No person,-
 - (c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Operator	24* (2017) *Subject to variation depends on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial.	Level – 4 (Rs.25500-81100)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Non-Selection post	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
	Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by Staff Selection Commission.

Educ	cational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
	(7)	(8)
Esse	ntial :	Age- No
(i)	Class -10 th pass or equivalent from recognised Board and possessing Industrial Training Institute trade certificates in fitter or turner or Miller or Driller or Shaper or Grinder or Welder or Mechanic or Mechanist with five years experience in an Engineering concern registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or in any Government or Semi-Government Organisation; or	Qualifications – No
(ii)	Class – 10 th pass or equivalent from recognised Board and possessing a licence in the trade of electrician, wireman, telecommunication mechanic or wireless mechanic from recognised licensing authority established under any law for the time being in force and having five years experience in an Engineering concern registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or in any Government or Semi-Government Organisation; or	
(iii)	Class -10^{th} pass or equivalent from recognised Board and possessing Industrial Training Institute, trade certificate in Automile X – ray or Machineman or Mechanic with five years experience in an Engineering concern registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or in any Government or Semi-Government Organisation; or	
(iv)	Class – 10 th pass or equivalent with five years experience in handling and operating distilled water plants or gas testing instrument or sampling machine or weather-o-mete or fadeometer or corrosion chamber or spray printing machine or testing equipments (Bacteriological Laboratory) experience in an Engineering concern registered under the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or in any Government or Semi-Government Organisation.	

Note: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
2 years for direct recruits	Promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption		
to be made.		
(11)		

Promotion:

Operator (Ordinary Grade) in the level - 2 in pay matrix with eight years regular service in the grade.

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service in the respective grade or post by the officers.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of.—	Not applicable.
1. Seniormost Scientist 'C' of the Region or Administrative Officer - Chairperson	
2. Section Officer (National Test House), Department of Consumer Affairs - Member	
3. Administrative Officer Grade II of the region - Member	

[F. No. A – 12018/1/2017-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 271.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची में, स्तंभ (11) में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) शीर्षक के तहत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक सिविल) के पद संबंधी क्रम संख्या 5 में मद (ख) के लिए, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात:—
- (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात्:—
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या कैमिकल इंजीनियरी में डिग्री या कैमिकल तकनीकी में डिग्री, या सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और
- (ii) सिविल इंजीनियरी सामग्री के परीक्षण और मूल्यांकन में एक वर्ष का अनुभव या सिविल इंजीनियरी सामग्री, गैर विध्वंसक परीक्षण और विश्लेषण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में एक वर्ष का अनुभव।

[फा. सं. ए-12018/07/2014-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उप—खंड (i) संख्या सा.का.नि. 238 तारीख 10 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 28th August, 2017

- **G.S.R. 271.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules to amend the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment Rules, 2016, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Officers Recruitment Rules, 2016, in the Schedule, against serial number 5, relating to the post of Scientific Officer (Physical Civil), in column (11), under heading Deputation (including short term contract), for item (b), the following item shall be substituted, namely:—
- "(b) Possessing the following qualifications and experience, namely:—
- (i) Master's degree in Physics or Master's degree in Chemistry or Degree in Chemical Engineering or Degree in Chemical Technology or Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute; and
- (ii) one year's experience in the testing and evaluation of Civil Engineering material or one year's experience in Research and Development in the field of testing and evaluation of Civil Engineering materials, non-destructive Testing and analysis of structures."

[F. No. A-12018/07/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)

Note: The principal rules published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 238 dated the 10th December, 2016.